न्यायालय सहायक कलक्टर द्वितीय, सीकर

पीठासीन अधिकारी– श्री राजपाल यादव (आर.ए.एस)

प्रा.प. संख्या 25/2009

1. भंवर सिंह
2. दीप सिंह
3. बजरंग सिंह
4. पेप सिंह

समस्त पुत्रगण मंगेज सिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम गणेशपुरा तहसील व जिला सीकर

– प्रार्थीगण –

बनाम

1. चैनसिंह
2. केशरसिंह
3. भूरसिंह फौत

3/1. सायर कंवर बेवा भूर सिंह

4. पेपसिंह
5. ग्यान सिंह
6. गोपाल सिंह
7. दीप सिंह
8. श्रवण सिंह समस्त पुत्रगण गाड़ सिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम गणेशपुरा तहसील जिला सीकर
9. शेखावाटी ग्रामीण बैक शाखा सिंगरावट तहसील व जिला सीकर जरिये प्रबंधक
10. भूमिधारी तहसीलदार सीकर

– अप्रार्थीगण –

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ

उपस्थित वकील प्रार्थीगण – श्री कैलाश स्वामी

वकील अप्रार्थीगण – श्री राधेश्याम बिंयाला

निर्णय

दिनांक – 14-11-19

वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट का मय वाद के प्रस्तुत किया । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण की

सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

पुश्तैनी कृषि भूमि ग्राम गणेशपुरा में अवस्थित है। माधो सिंह के चार पुत्र हुऐ जिसमें से गाड़ सिंह, भीख सिंह उर्फ भीवंसिंह के गोद चला गया था तथा धूकल सिंह व शार्दूल सिंह नाऔलाद फौत हो गये । इस प्रकार स्व0 माधोसिंह का एक मात्र वारिस मंगेज सिंह हुआ जिसके वारिसान वादीगण/प्रार्थीगण है तथा गाड़सिंह भींखसिंह का वारिस हुआ। पुराने खसरा नम्बर 32 रकबा 32 बीघा ग्राम गणेशपुरा में अवस्थित है। जिके नये खसरा नम्बर 50 से 55, 57 एवं 57/441 किता 8 रकबा 8.07 है0 बने है, पर प्रार्थीगण काबिज है। उक्त भूमियां प्रार्थीगण को विरासतन प्राप्त हुई है। पुराने ख0 नं0 32 रकबा 32 बीघा ग्राम गणेश्पुरा की खातेदारी मंगेजसिंह, शार्दूल सिंह पुत्रगण माधोसिंह के नाम थी तथा शार्दुल की मृत्यु के पश्चात उसका वारिस मंगेज सिंह व प्रार्थीगण हुऐ। लेकिन शार्दुल सिंह की मृत्यु के पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर शार्दुल सिंह की 1/2 की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवा ली जो गलत है। गाड़सिंह के गोद चले जाने के कारण माधोसिंहकी सम्पति मे अप्रार्थीगण का कोई हक अधिकार नही रह गया । अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 को पहले खातेदारी दुरूस्त करवाने की कहा तो करवाने को तैयार हो गये बाद में स्पष्ट रूप से मना कर दिया तथा प्रार्थीगण को गलत खातेदारी की आड़ में बेदखल करने पर आमादा हो गये। इसलिये अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञ से पाबन्द किया जाना न्यायहित में है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 8 उपस्थित रहे तथा जवाब पेश कर कथन किया कि उक्त भूमियां प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की पैतृक आराजी नहीं है बल्कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 की पैतृक आराजी है। उक्त भूमियों की खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम से सही अंकित है। प्रार्थीगण के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनताहै ना ही कोई सुविधा का संतुलन उनके पक्ष में है ना ही उन्हे कोई अपूरणीय क्षति कारित हो रही है। अतः आवेदन मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में बहस हेतु वकील उभयपक्ष ने आवेदन एवं जवाब आवेदन को ही बहस समझी जाने का कथन किया। हमने पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अस्थाई निषेधाज्ञा के निस्तारण हेतु तीन बिन्दुओं पर विचारण किया जाना है –

1. **प्रथम दृष्टया मामला** – पत्रावली पर प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार जमाबंदी सम्वत 2063 से 66 में खसरा नम्बर 50 से 55, 57, व 57/441 किता 8 कुल रकबा 8.07 है0 ग्राम गणेशपुरा की खातेदारी भंवरसिंह, दीपसिंह, पेपसिंह पि. मंगेजसिंह हि0 3/8 राहिन शेखावाटी ग्रामीण बैक सिंगरावट मुर्तहीन, बजरंग सिंह पुत्र मंगेज सिंह हि0 1/8, चैनसिंह, भूरसिंह, केशरसिंह, पेपसिंह, ग्यानसिंह, गोपालसिंह, दीपसिंह, श्रवणसिंह पिता गाड़सिंह हि0 1/2 कौम राजपुत सा.देह के नाम दर्ज है। जमाबंदी सम्वत 2016–20 में उपर्युक्त भूमि के पुराने खसरा नम्बर 32 की खातेदारी

सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

मंगेजसिंह, शार्दुलसिंह पिता माधोसिंह कौम राजपूत सा. देह के नाम दर्ज है। पत्रावली में सम्वत 2021 से 2062 के बीच की जामबंदिया संलग्न नहीं है जिसके अभाव में यह निश्चय करना संभव नहीं है कि विवादित आराजीयात के 1/2 हिस्से की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 व उनके पिता गाड़सिंह को जरिये विरासत प्राप्त हुई या जरिये विक्रय पत्र प्राप्त हुई या जरिये कोर्ट डिक्री प्राप्त हुई। अतः उपर्युक्त दस्तावेजों के अभाव में प्रार्थीगण का मामला विवादित भूमि पर प्रथम दृष्टतया स्पष्टत् प्रमाणित नहीं है।

2. **सुविधा का संतुलन** – प्रार्थीगण विवादित भूमियों के पूर्ण हिस्से पर अपना हक अधिकार जताने का आधार प्रमाणित नहीं कर पाये है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं है।

3. **अपूरणिय क्षति** – उपर्युक्त दोनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं है तो प्रार्थीगण को अपरूरणीय क्षति नहीं हो सकती है।

आज्ञा

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्त. अधि. का बाबत विवादित भूमि खसरा नम्बर 50 से 55, 57, व 57/441 किता 8 कुल रकबा 8.07 है0 ग्राम गणेशपुरा तहसील धोद जिला सीकर का खारिज किया जाता है।

(राजपाल यादव)
सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर
सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

निर्णय आज दिनांक 14 11/19 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर
सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर